However, this relationship is not one which attracts the provisions of the Companies Act, 1956. As such, there is no question of taking any action for indulging in any illegal practice on this account.

Expansion of Goa Shipyard

2198. SHRI VASANT SATHE: Will the DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government have formulated a plan for expansion of Goa Shipyard during the Five Year for 1978-79 to 1982-83; and

(b) if so, details of the plan formulated/finalised and cleared by the Planning Commission and the order of investment likely to be available for execution of the proposal during 1979-80 and the progress reported for 1978-79?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (PROF. SHER SINGH): (a) and (b). The Government have not formulated any specific expansion scheme for Goa Shipyard for the Five Year Plan from 1978-79 to 1982-83. However, schemes have been sanctioned for augmenting facilities as and when required. Currently, the Goa Shipyard is implementing a project for creating additional facilities such as construction of fitting-out jetty, dredging, expansion of Assembly Bay, etc.

Joint ventures with Australia

2199. SHRI MADHAVRAJ SCINDIA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the talks with regard to setting up joint ventures with Australia in mining was discussed with the Prime Minister of that country during his recent visit; and

(b) if so, details therein and outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI KARIA MUNDA): (a) and (b). The subject was discussed with the Australian Prime Minister during his recent visit to India. The discussions were essentially of a preliminary nature and nothing concrete has emerged as yet.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नए पदों के लिए वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मांगा जाना

2200. श्री नवाब सिंह चौहान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने नये पदों को बनाने के लिए स्वीकृति मांगी थी जिनका वेतन 1500 रुपए से अधिक है;

(ख) उन पदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वित्त मंत्रालय ने स्वीकृति दी;

(ग) कितने मामलों में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सर्विस इन्सपेक्शन यूनिट की मदद चाही थी;

(घ) क्या ऐसी मदद दी गयी थी और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सर्विस इन्सपेक्शन यूनिट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वाणिज्यिक केन्द्रों का निरीक्षण किया था और यदि हां, तो निरीक्षण का क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) गत दो वर्ष के दौरान न्यूनतम 1500 रुपए और इससे अधिक प्रतिमास के वेतन वाले 14 नए पद सृजित किये गये थे । इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ) सात । संलग्न विवरण में क्रम संख्या 5 से 11 तक के सम्मुख निर्दिष्ट पद वित्त मंत्रालय की स्टाफ निरीक्षण यूनिट की सिफारिश पर मंजूर किए गए थे और एक पद (क्रम संख्या 1) इस मंत्रालय की इंटर्नल वर्क स्टडी यूनिट की सिफारिश पर सृजित किया गया था । शेष पदों के सृजन के लिए इसकी सहायता नहीं मांगी गई थी ।

(ङ) स्टाफ निरीक्षण यूनिट ने आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों का निरीक्षण नहीं किया है । तथापि, उसने दूरदर्शन के सात वाणिज्यिक केन्द्रों का निरीक्षण किया है और इसकी रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है । उसको कार्यान्वित करने की कार्रवाई चल रही है ।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि इस मंत्रालय की इन्टर्नल वर्क स्टडी यूनिट ने आकाशवाणी के वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्रों में केन्द्र निदेशकों के दर्जे के अधिकारियों के होने के प्रश्न की जांच की थी। इन्टर्नल वर्क स्टडी यूनिट के इस निष्कर्ष की कि मौजूदा पद्धति जारी रहनी चाहिए, जांच की गई। यह महसूस किया गया कि इन्टर्नल वर्क स्टडी यूनिट की रिपोर्ट ठोस निर्णयों के लेने के लिये पर्याप्त आधार नहीं बन सकी, क्योंकि इन केन्द्रों का स्टाफिंग पैटर्न आवश्यक रूप से वाणिज्यिक दृष्टिकोण से प्रबंध की आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा। अत: यह महसूस किया गया कि इस पहल का अध्ययन किसी विशेषज्ञ प्रबंध सलाहकार से कराया जाना चाहिए। इस प्रकार का अध्ययन होने तक यथा-स्थिति बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

विवरण

1977-78 और 1978-79 (28-2-1979 तक) के वित्तीय वर्षों के दौरान वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मंजूर किए गए न्यूनतम 1500 रुपये और उससे अधिक प्रति मास के वेतन वाले पदों का ब्यौरा।

क्रम संख्या	पदनाम	वेतनमान	कैफियत
1	2	3	4
		रुपये	
1.	निदेशक (सतर्कता) मुख्य सचिवालय	2000-2250	यह 1500-2000 रुपये के वेतनमान में उप सचिव के एक स्थायी पद के बदले में है।
2.	उप सचिव (आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता सम्बन्धी कार्य दल)	1500-2000	उप सचिव का यह पद उस तारीख से समाप्त हो जायेगा जिससे विशेष कार्य अधिकारी का पद भरा जाएगा
3.	विशेष कार्य अधिकारी (आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्तता सम्बन्धी कार्य दल)	2500-2750	
4.	उप महानिदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय (मुख्यालय)	2000-2250	यह 2250-2500 रुपये के वेतनमान में अपर महानिदेशक के पद के बदले में है।
5.	निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र अमृतसर	1500-2000	
6.	कार्यभारी इंजीनियर, दूरदर्शन केन्द्र, अमृतसर	1500-1800	
7.	निदेशक, उपग्रह, दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद	1500-2000	यह 1100-1600 रुपये के वेतनमान में केन्द्र निदेशक के वर्तमान पद के बदले में है जिसे समाप्त कर दिया गया है।
8.	निदेशक, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक	1500-2000	-तदैव-
9.	कार्यभारी इंजीनियर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली	1500-1800	
10.	कार्यभारी इंजीनियर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद	1500-1800	
11.	कार्यभारी इंजीनियर, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, कटक	1500-1800	
12.	सचिव, प्रेस आयोग	3500 (नियत)	
13.	निदेशक (प्रशासन), प्रेस आयोग	1500-2000	
14.	निदेशक (समन्वय), प्रेस आयोग	1500-1800	